न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 52/2018 राजस्व वाद
रेखा आत्मज श्री लच्छू जी गुर्जर उम्र बालिग निवासी– केसरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– वादीगण

बनाम

1. श्रीमती कंकू पत्नी मांगू गुर्जर उम्र बालिग निवासी– केसरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती कंकू पत्नी श्री मेवा गुर्जर उम्र बालिग निवासी– केसरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89–92–क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार जैन –अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार –– अधिवक्ता प्रतिवादी

= निर्णय = दिनांक– 15 /11/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89,92–क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का दहीमथा तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे मुझ वादी के खातेदारी अधिकार अधिपत्य की आराजी नम्बर 351/45 रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है। जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2062 से 2065 की पेश की गयी। उक्त आराजी को वाद मे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को आंवटित हुई थी एंव आवंटन नियमो की पालना किये जाने से उक्त वादग्रस्त आराजी जरिये इंतकाल संख्या 89 दिनांक 03/10/2001 से मुझ वादी के खातेदारी मे दर्ज हुई, उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी का वक्त आंवटन से ही कब्जा हो उपयोग उपभोग चला आ रहा है। राजस्व अधिकारी एंव कर्मचारीयो की जमाबंदी के हर रोटेशन इन्द्राज दोहराना होता है, राजस्व अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो ने भूल व गलती से उक्त वादग्रस्त आराजी संवत 2066–2069 की जमाबंदी मे लच्छू पिता भूरा गुर्जर के नाम पर राजस्व अभिलेख दर्ज कर दी, जबकि वादी द्वारा लच्छू पिता भूरा गुर्जर के हक मे कोई अंतरण का दसतावेज निष्पादित नही किया व न ही कोई न्यायालय आदेश था। राजस्व अधिकारीयो एंव कर्मचारीयो ने बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:07:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर, करेड़ा

प्रदान करावें।

दिनांक :– 31.05.2018

अथवा बिना न्यायालय के आदेश के मनमकसूद तौर उक्त वादग्रस्त आराजी लच्छू पिता भूरा गुर्जर के नाम पर दर्ज कर दी। उक्त वादग्रस्त आराजी लच्छू पिता भूरा गुर्जर के नाम पर दर्ज किये जाने से लच्छू गुर्जर के उक्त वादग्रस्त आराजी मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है, किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी गलत तौर से मुझ वादी के नाम हटा दिये जाने से मुझ वादी के खातेदारी हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। जिससे घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमायी जाकर वादी को उक्त वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाना व इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख मे मुझ वादी के नाम पर अंकित कराया जाना आवश्यक है। उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख मे मुझ वादी के बजाय लच्छू पिता भूरा गुर्जर के नाम पर गलत तौर से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठा लच्छू पिता भूरा गुर्जर ने उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्रो से बिकाव कर दी जो मुझ वादी के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है क्योकि केता , विक्रेता से अच्छा स्वत्व प्राप्त नही कर सकता है। लच्छू पिता भूरा गुर्जर का उक्त वादग्रस्त आराजी मे कोई हक, स्वत्व एंव अधिकार ही निहित नही था तो उसके द्वारा उक्त आराजी को कानूनन अन्यत्र विक्रय नही किया जा सकता है एंव उक्त आराजी पर केता प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का कभी कब्जा ही नही रहा है। जिससे उक्त तथाकथित बिकाव वादी के मुकाबले प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड है, जिससे यह घौषित किया जाना आवश्यक है कि लच्छु पिता भूरा गुर्जर द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के पक्ष मे निष्पादित एवं पंजीकृत दोनो विक्रयपत्र मुझ वादी के मुकाबले शून्य अवैध एवं निष्प्रभावी है।प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 दिनांक 20/05/2018 को उक्त आराजी पर आयी व मुझ वादी को कब्जा छोडने हेतु कहा, जिस पर मुझ वादी ने ओलम्बा दिया व उक्त वादग्रस्त आराजी लच्छू पिता भूरा गुर्जर से क्रय करे का बता बतायी, जिस पर वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवाने पर उक्त तथ्यो की जानकारी हुई, जिस पर दिनांक 25/05/2018 को प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 को उक्त आराजी पुनः मुझ वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहने पर इंकार कर दिया।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

प्रकरण मे वादीगण की ओर से भूमि रोटेशन जमाबंदी, पंजीकृत दस्तावेजात एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र को रेकार्ड पर लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए भूमि पुनः वादी के नाम पर दर्ज कराने व लच्छु द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र को नल एण्ड वोईड (अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी) घौषित करने का निवेदन किया गया।

मैने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी। पत्रावली प[illegible] सामग्री का अवलोकन किया , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे सरह[illegible] तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 351/45 रकबा 05 [illegible] भूमि जो कि जमाबंदी संवत 2062 से 2065 प्रदर्श सख्या 01के वादी के नाम पर दर्ज थी व इंतकाल संख्या 89 दिनांक 03/10/2001 प्रदर्श सख्या 02 के वादी के नाम पर खाते[illegible]री हक अधिकार से दर्ज हुई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:07:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

जमाबंदी संवत 2066–2069 प्रदर्श सख्या 03 मे बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज/न्यायालय आदेश के लच्छू पुत्र श्री भूरा गुर्जर के नाम पर गलत तौर पर अभिलिखित होना प्रथमतः साबित होता है व साथ ही लच्छू पुत्र श्री भूरा गुर्जर द्वारा अपने नाम पर गलत रूप से अभिलिखित होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 को विक्रय कर विक्रयपत्र प्रदर्श सख्या 04 पंजीयन कराये है, जिससे प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 को कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है व वादी की साक्ष्य से मौके पर कब्जा भी वादी का ही प्रमाणित है। अतः उक्त भूमि वादी के नाम पर पुनः खातेदारी हक अधिकार से दर्ज की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 351/45 रकबा 05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र को वादी के हक अधिकार के मुकाबले अवैध, शून्य, निष्प्रभावी (नल एण्ड वोईड) घोषित किया जाता है, उक्त आराजी नम्बर 351/45 रकबा 05 बीघा के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का नाम विलोपित किया जाकर पुनः वादी के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 उक्त आराजी से वादी को जबरन बेदखल नही करे व वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे व न ही किसी अन्य से करावें। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनाक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:07:54 IST
Reason: SelfAttested